मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक   –01–2022

क्रमांक   /2947/2020/सत्रह/मेडि–1 :: विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक 10.05.2012 को डॉ. ए.एन. मित्तल (सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2015), तत्कालीन संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल के निवास स्थान पर अनुपातहीन संपत्ति के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत सर्च/छापे की कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप राज्य शासन द्वारा डॉ. ए.एन. मित्तल (सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2015), तत्कालीन संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम–3 के उप नियम–1 के तहत विभाग के आदेश क्रमांक 2101/2012/17/मेडि–1, दिनांक 10.05.2012 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था। डॉ. मित्तल को निलंबित रहने के दौरान ही विभागीय आदेश क्रमांक 18–01/2015/17/मेडि–1, दिनांक 30.04.2015 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया गया।

2– डॉ. ए.एन. मित्तल के विरूद्ध प्रचलित लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 167/2012 के संबंध में उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–14 के अंतर्गत संस्थित विभागीय जांच में डॉ. मित्तल पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–9 के अंतर्गत उन्हें देय पेंशन राशि में से 20 प्रतिशत पेंशन राशि स्थायी रूप से वापस ली गयी है। इसके अतिरिक्त डॉ. ए.एन. मित्तल के विरूद्ध प्रचलित एक अन्य लोकायुक्त जांच प्रकरण क्रमांक 19/2012 के संबंध में उनके द्वारा की गयी अनियमितताओं के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम–14 के अंतर्गत संस्थित विभागीय जांच में डॉ. मित्तल पर अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के नियम–9 के अंतर्गत उन्हें देय पेंशन राशि में से 10 प्रतिशत पेंशन राशि की कटौती 05 वर्ष के लिए की गयी है।

3– अतः राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. ए.एन. मित्तल (सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2015), तत्कालीन संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल की निलंबन अवधि दिनांक 10.05.2012 से सेवानिवृत्ति दिनांक 30.04.2015 तक की अवधि को मध्यप्रदेश मूलभूत नियम 54–बी(1)(ब) में उल्लेखित उपबंधों के तहत " No work- No pay " (कार्य नहीं–वेतन नहीं) मान्य करता है। उक्त अवधि में डॉ. मित्तल को केवल जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सीमा डहेरिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ0क0 42 / 2947 / 2020 / सत्रह / मेडि—1 भोपाल दिनांक 07/01/2022

प्रतिलिपिः—

1— विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल।

2— निज सचिव, अपर मुख्य सचिव / सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

3— आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, म.प्र. भोपाल।

4— महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।

5— संचालक (प्रशासन), संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल की ओर आगामी आवश्यक कार्यवाही तथा आदेश की उपरोक्त प्रति विभाग की वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।

6— डॉ. ए.एन. मित्तल (सेवानिवृत्त दिनांक 30.04.2015), तत्कालीन संचालक,स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल निवासी—61 / 01, शांति निकेतन, गोविन्दपुरा, भोपाल की ओर उनके आवेदन पत्र दिनांक 27.11.2020 के संदर्भ में अग्रेषित।

7— आर्डर फोल्डर / स्थापना लिपिक।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग